राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र, छत्तीसगढ़

वाहन प्रदाय करने के लिए संस्थाओं का नामिकायन (Empanelment)

परिचय – राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र छत्तीसगढ़, एक स्वायत्ताशासी संगठन है जो कि सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973, (क्रमांक –44) के अधीन पंजीकृत है। राज्य में मितानिन कार्यक्रम के संचालन के साथ–साथ ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

वांछित सेवायें – हमारी संस्था को अपनी कार्यालयीन उपयोग एवं राज्य के विभिन्न जिलों में क्षेत्र भ्रमण के लिए वाहनों को किराये पर लेने की आवश्यकता होती है।

आवेदन प्रक्रिया –इच्छुक व्यक्ति/संस्थाएं अपने आवेदन दिये गये निर्धारित प्रारूप (**संलग्न**) में भरकर रू. 500 निविदा शुल्क के साथ कार्यालय में **दिनांक** 16.5.2018 तक जमा करें। उपरोक्त राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से STATE HEALTH RESOURCE CENTRE RAIPUR के नाम पर देय होगी जो कि वापसी योग्य नहीं होगी।

चयन प्रक्रिया –सभी निविदाकर्ताओं द्वारा प्राप्त दरों एवं दी जाने वाली सुविधाओं के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर न्यूनतम निविदा का चयन किया जाएगा एवं अन्य निविदाकर्ताओं को (यदि इच्छुक हो तो) न्यूनतम दर को मिलान करने का अवसर दिया जा सकता है। उक्त आधार पर समान दरों पर निविदाकर्ताओं को सूचीबद्ध किया जाएगा एवं आवश्यकतानुसार कार्यादेश दिया जाएगा।

नियम व शर्ते –

- यह निविदा केवल पंजीकृत फर्मो/ट्रेवल्स एजेंसियों द्वारा ही भरा जायें।
- समस्त निविदा **"प्रति, कय समिति, राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र"**, बिजली ऑफिस चौक कालीबाड़ी, रायपुर के पते पर सीलबंद लिफाफे में निर्धारित तिथि तक जमा कराया जाना होगा,एवं लिफाफे पर कोटेशन लिखना आवश्यक होगा।
- प्रस्तावित दरें सभी कर सहित होंगी तथा अनुबंध की तारीख से एक वर्ष तक मान्य होंगी।
- निविदा कर्ता को GST /PAN NO. एवं बैक पासबुक/स्टेटमेंट की छायाप्रति संलग्न किया जाना होगा।
- वाहन की मरम्मत, रख–रखाव एवं समस्त अन्य खर्चे वाहन मालिक द्वारा देय होगा।
- वाहन टैक्सी के रूप में परिवहन विभाग के नियमानुसार होना पंजीकृत होना अनिवार्य है एवं वाहन के समस्त कागजात परिवहन विभाग के नियमानुसार होना अनिवार्य होगा एवं रोड टैक्स/बीमा/सेवा शुल्क आदि का भुगतान वाहन मालिक द्वारा किया जावेगा। वाहन का रोड़ टैक्स व बीमा होना चाहिए।
- वाहन चालक का व्यय संबंधित वाहन मालिक द्वारा देय होगा। वाहन चालक के अवकाश पर या अस्वस्थ होने पर वाहन मालिक को तत्काल दूसरे अर्हताधारी वाहन चालक की व्यवस्था करनी होगी।
- शासकीय विभाग में किराए पर वाहन चलाने वाले अनुभवी को प्राथमिकता दी जायेगी।
- वाहन रायपुर पर रहने एवं रायपुर से बाहर जाने पर कोई अतिरिक्त भार देय नहीं होगा।
- दर में सभी प्रकार के वैधानिक टैक्स सम्मिलित रहेंगे। संस्था द्वारा अलग से GST या अन्य किसी प्रकार के टैक्स का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- वाहन अच्छी कंडीशन में होना अनिवार्य चाहिए।
- ट्रीप स्लीप वाहन चालक को नियमानुसार भरना होगा एवं संबंधित अधिकारी से हस्ताक्षर लिया जाना होगा व उक्त ट्रीप स्लीप मूलतः कार्यालय में देयक के साथ जमा करना होगा।
- किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने और निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र के पास सुरक्षित रहेगा।

01.5.2018

वरिष्ठ समन्वयक (प्रशासनिक)

State Health Resource Centre Chhattisgarh

किराये पर वाहन प्रदाय करने हेतु नाभिकायन (empanelment) के लिए आवेदन

प्रति,

क्रय समिति,
राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र,
बिजली ऑफिस चौक के पास,
कालीबाड़ी, रायपुर (छ.ग.)

महोदय,

मैं आपकी संस्था को किराये पर वाहन उपलब्ध कराने का इच्छुक हूँ जिसके लिये निर्धारित शुल्क राशि .... डी.डी. क्रं.........................के माध्यम से जमा कर रहा हूँ। आपके द्वारा दिये गये प्रपत्र को मैने ध्यान पूर्वक पढ़ा हैं एवं उनमें दी गई समस्त शर्ते मुझे मान्य हैं।उपरोक्त व्यवस्था हेतु मेरी दरें निम्नानुसार है।

क्रमाक	वाहन का नाम	किराया आधा दिन (6 घंटे 50 कि.मी.)	किराया प्रतिदिन (100 कि. मी.)	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.	रात्रि विश्राम	उपलब्ध वाहनों की संख्या	मॉडल (वर्ष)
1	टाटा इंडिका/विस्टा (ए.सी.)						
3	टाटा इंडिगो (ए.सी.)						
5	एनोवा (ए.सी.)						
7	टवेरा/स्कापियों/अर्टिगा (ए.सी.)						

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं संस्था की सील

हस्ताक्षरकर्ता का नाम ....

पता..

....

मोबाइल नं...